लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लाडिस (ई एण्ड एफ) 2014/आईबी-08 जुलाई 2014

भारत का खुदरा क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत के खुदरा क्षेत्र के उद्भव का इतिहास हमारे देश के गांवों में काफी लम्बे समय से लगने वाले मेलों में ढूंढा जा सकता है। ये मेले अभी भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये मेले किन्हीं सुविचारित आर्थिक क्रियाकलापों का केन्द्र नहीं थे बल्कि इनका आयोजन मुख्यत: मनोरंजन के लिए किया जाता था। बाद में जैसे-जैसे उपभोग में वृद्धि होती गई तथा उत्पादन बाजार के लिए किया जाने लगा, खुदरा क्षेत्र ने आकार ग्रहण करना आरम्भ किया और आस-पड़ोस में पारम्परिक दुकानें जैसे किराना, सुविधा स्टोर आदि खुलने लगे। अर्थव्यवस्था में उचित वितरण नेटवर्क के अभाव तथा भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग जगहों पर स्थित उत्पादन स्थलों के कारण इन खुदरा दुकानों की मुनाफाखोरी संबंधी गतिविधियां काफी बढ़ने लगीं।

1950 में सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसमें हस्तक्षेप किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आरम्भ की। सरकार ने खादी भंडारों तथा सहकारी दुकानों को भी सहयोग दिया जिससे अनेक पारम्परिक उत्पादनों में लगे छोटे उत्पादकों को सहायता मिली। सरकारी हस्तक्षेप से वितरण में आने वाली कुछ बड़ी बाधाएं दूर हो गईं जिससे उचित दामों पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकी।

1990 में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण से भारतीय बाजारों में विदेशी ब्रांडों का प्रवेश हुआ। करोपरांत व्यय योग्य आय में वृद्धि तथा शहरी मध्यम वर्ग के विकास से भारतीय उपभोक्ताओं के घरेलू उपभोग में वृद्धि हुई और वे उन वस्तुओं को भी खरीदने लगे जो वे पहले नहीं खरीदते थे। बाजारों में विदेशी वस्तुओं के प्रवेश ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और उपभोक्ताओं की पसंद का विस्तार किया। इससे आधुनिक खुदरा बाजार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ जिसमें विशिष्ट ब्रांडों के बिक्री केन्द्र, सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और शापिंग माल आदि सम्मिलित हैं। लगभग सभी प्रमुख भारतीय निजी निगमित समूह (टाटा, रिलायंस, बिरला आदि) खुदरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं ताकि वे भी इस क्षेत्र का लाभ उठा सकें।

भारतीय खुदरा क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय खुदरा उद्योग में खुदरा बाजार के पारम्परिक स्वरूप में स्थानीय किराना दुकानें, मालिकों द्वारा चलाए जा रहे जनरल स्टोर, पान-बीड़ी की दुकानें, सुविधा स्टोर, रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वाले, साप्ताहिक हाट और बाजार सम्मिलित हैं तथा संगठित खुदरा क्षेत्र में लाइसेंसधारी खुदरा व्यापारी शामिल हैं जो बिक्री कर और आय कर आदि के लिए पंजीकृत हैं। भारत के खुदरा उद्योग में निजी स्वामित्व में चलाए जा रहे बड़े खुदरा व्यापार तथा निगमों द्वारा समर्थित खुदरा व्यापार शृंखलाएं और हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं। इस प्रकार का खुदरा व्यापार टियर 1 के शहरों जैसे नई दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलुरू में बहुतायत में है।

यह उल्लेखनीय है कि लाखों छोटे-छोटे बिक्री केन्द्रों वाला भारतीय खुदरा उद्योग पूरे देश में फैला है और अत्यधिक असंगठित है। खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या इतनी अधिक होने का कारण यह है कि इन केन्द्रों की स्थापना बहुत सरलता से हो जाती है। पारम्परिक खुदरा प्रणाली में बहुत कम निवेश और न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है।

पारम्परिक खुदरा स्टोरों और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों की औपचारिक प्रकृति भी भारत के खुदरा क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है। उन ग्राहकों, जो भौगोलिक रूप से निकटवर्ती स्थानों पर रहते हैं; के साथ बातचीत से परस्पर लाभदायी भरोसा पैदा होता है। ग्राहक अक्सर अपनी उपभोज्य वस्तुएं उधार में ले लेते हैं और स्टोर ग्राहक को निष्ठा अर्जित कर लेते हैं।

संगठित क्षेत्र में खुदरा कारोबार का आगरा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, देहरादून, पुणे इत्यादि (टियर 2 शहर); और गंगानगर, मुजफ्फरनगर, निजामाबाद, एर्णाकुलम, रुड़की इत्यादि (टियर 3 शहर) जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी विस्तार हो रहा है। तथापि, भारत के खुदरा क्षेत्र की एक अनोखी बात यह है कि इन आधुनिक स्वरूपों के साथ-साथ पहले के चरणों के अन्य सभी पारम्परिक स्वरूप भी साथ में कायम हैं।

भारत में खुदरा क्षेत्र: आकार और ढांचा

भारत में, खुदरा कारोबार एक महत्वपूर्ण सेवा उद्योग रहा है। विशेष रूप से, हाल के वर्षों में समग्र अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास, उच्चतर प्रयोज्य आय और तेज शहरीकरण से इस क्षेत्र के विकास में तेजी आई है। वस्तुत:

इसकी एक उभरते हुए उद्योग के तौर पर पहचान की गई है जिसमें भावी विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं।

पिछले दशक में भारतीय खुदरा उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है और यह संगठित खुदरा कारोबार की ओर अग्रसर हुआ है साथ ही यह उद्योग खुदरा कारोबार की आधुनिक अवधारणा की ओर बढ़ रहा है। तथापि, विशेष रूप से इस क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण भारत में खुदरा क्षेत्र का सही आकार जानना बहुत कठिन है। बड़ी संख्या में खुदरा बिक्री केंद्र परिवार द्वारा संचालित हैं जिनमें परिवार के सदस्य अंशकालिक या पूर्णकालिक तौर पर कार्य करते हैं जिससे भारत में खुदरा क्षेत्र द्वारा सृजित वास्तविक रोजगार का सटीक अनुमान लगाना कठिन है।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा प्रकाशित खुदरा क्षेत्र रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुदरा क्षेत्र, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 22 प्रतिशत है और कुल रोजगार में इसका योगदान 8 प्रतिशत है। 2010 में भारत के खुदरा बाजार का आकार 435 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें से बाजार का 95 प्रतिशत पारम्परिक खुदरा कारोबार था और बाजार का 5 प्रतिशत संगठित खुदरा कारोबार था। भारत के खुदरा बाजार के अगले 10 वर्षों में 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है जो 2020 तक लगभग 850 बिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। संगठित खुदरा कारोबार के पारम्परिक खुदरा कारोबार से अधिक तेजी से बढ़ने की आशा है।

यह उल्लेखनीय है कि खाद्य और किराना खुदरा व्यापार कुल राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत है और यह भारत में खुदरा उद्योग का सबसे बड़ा भाग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवार के स्तर पर खाद्य और किराना पर उपभोक्ता व्यय कुल खुदरा खरीद का औसतन 50 प्रतिशत होता है। डिलोइट[1] द्वारा प्रकाशित 'इंडियन रिटेल मार्केट: ओपनिंग मोर डोर्स' (भारतीय खुदरा बाजार: और द्वार खोलना) शीर्षक वाली रिपोर्ट, जो भारत के खुदरा व्यापार बाजार का ब्यौरा (राजस्व-वार) दर्शाती है, के अनुसार, जो 2012 की खुदरा बाजार अध्ययन में वर्णित है, आहार और किराना का हिस्सा 60 प्रतिशत है, परिधान 8 प्रतिशत, मोबाइल और दूरसंचार 6 प्रतिशत, खाद्य सेवा 5 प्रतिशत, आभूषण 4 प्रतिशत, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स 3 प्रतिशत, फार्मेसी 3 प्रतिशत और अन्य का हिस्सा 11 प्रतिशत है जैसाकि ग्राफ 1 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1

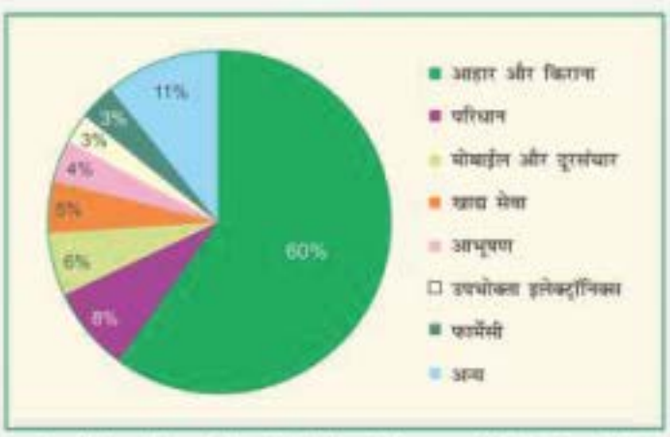

स्रोत: 'इंडियन रिटेल मार्केट-ओपनिंग मोर डोर्स', 2012 संबंधी डिलोइट रिपोर्ट

[1] 'डिलोइट' वह ब्रांड है जिसके अंतर्गत दुनिया भर में स्वतंत्र फर्मों में लाखों सम्पर्कित पेशेवर चयनित ग्राहकों को लेखा-परीक्षा, परामर्श, वित्तीय सलाहकारी, जोखिम प्रबंधन, और कर सेवाएं प्रदान करने हेतु सहयोग करते हैं। भारत में यह प्रमुख शहरों में विभिन्न प्रकार की लेखा-परीक्षा और उद्यम जोखिम, कर, परामर्श और वित्तीय सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है।

टेक्नोपैक एनालिसिस[2] के अनुसार वर्ष 2001 से भारत में खुदरा उद्योग के आकार में भारी वृद्धि हुई है। नीचे दी गई सारणी में वृद्धि के रुख को दर्शाया गया है।

मूल्य और रोजगार के संदर्भ में भारत में खुदरा उद्योग का आकार

	2001	2012	2021
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (बिलियन अमरीकी डालर में)	450	1958	3310
अनुमानित व्यापारिक माल की खपत (खुदरा बिक्री) (बिलियन अमरीकी डालर में)	120	489	810
• असंगठित खुदरा क्षेत्र	115 (95.8%)	455 (92.9%)	648 (80.0%)
• संगठित खुदरा क्षेत्र	5 (4.2%)	34 (7.1%)	162 (20.0%)
असंगठित खुदरा क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या (मिलियन में)	18	22	31
संगठित खुदरा क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या (मिलियन में)	0.1	0.7	3.3

स्रोत: 'एफडीआई इन रिटेल' विषय पर टेक्नोपैक एनालिसिस द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र

अमेरिका की वैश्विक प्रबंधन परामर्शदात्री फर्म एटी कियर्नी ने अपने ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) 2013[3] में भारत को 30 उभरते बाजारों में खुदरा निवेश हेतु 14वां सर्वाधिक आकर्षक स्थान बताया है, जैसाकि ग्राफ 2 में दर्शाया गया है। तथापि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत भी वैश्विक मंदी से अछूता नहीं रहा है जिसकी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2013 में 5 प्रतिशत तक आ गई जोकि 10 वर्ष (2003-2013) के औसत 7.6 प्रतिशत से भी कम है।

[2] टेक्नोपैक एक प्रामाणिक और भारत की अग्रणी परामर्शदात्री फर्म है जिसे खुदरा, उपभोक्ता उत्पादों और ई-टेलिंग (इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग); फैशन-टैक्सटाइल और परिधान; खाद्य सेवाओं और कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल में विशेषज्ञता प्राप्त है।

[3] वार्षिक एटी कियर्नी ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) में 30 विकासशील देशों को 0 से 100 प्वाइंट स्केल पर रखा गया है जिसमें जिसकी रैंकिंग जितनी अधिक है उसे विदेशी निवेश हेतु उतना ही अधिक आकर्षक देश माना गया है। जीआरडीआई स्कोर चार विधाओं पर आधारित है जिसमें देश और व्यापार जोखिम (25 प्रतिशत); बाजार आकर्षण (25 प्रतिशत); बाजार परिपूर्णता (25 प्रतिशत) और समय का दबाव (25 प्रतिशत) शामिल है। जीआरडीआई निकालने हेतु प्रयुक्त डाटा और विश्लेषण यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन डिविजन डाटाबेस, द वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम्स ग्लोबल कम्पीटीटिवनेस रिपोर्ट, 2010-2011 नेशनल स्टेटिस्टिक्स, यूरोमनी और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स और यूरोमॉनीटर एंड प्लेनेट रिटेल डाटाबेस पर आधारित है।

ग्राफ 2[4]

अधिक प्रचालन लागत, विक्रेताओं के साथ मोल-भाव करने की कम शक्ति और बिक्री बढ़ाने के लिए भारी छूट देने से भारत के खुदरा क्षेत्र के लाभ और विस्तार योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है। रियल एस्टेट में लागत और स्थान की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अत: भारत के खुदरा क्षेत्र में अनेक कंपनियां बिक्री, उत्पादकता में सुधार लाने, प्रचालन लागत में कमी करने और स्टोर के आकार में कमी लाने के सक्रिय प्रयास कर रही हैं।

तथापि, बड़े पैमाने पर युवा और ब्रांड और फैशन के प्रति जागरूक जनसंख्या के साथ भारत में खुदरा व्यापार हेतु दीर्घकालीन मूलभूत आधार बहुत सुदृढ़ है। गत दो दशक के दौरान अपनी बढ़ी हुई औसत आय और उपभोक्ता आकांक्षाओं के साथ भारत के मध्यम वर्ग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परिवहन और संचार अवसंरचना में सुधार के साथ उपभोक्ताओं की रुचियों में समानता आई है। इसके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा है। यहां औसत आयु 26 वर्ष है। इसका अर्थ है कि यहां 600 मिलियन से अधिक लोग 26 वर्ष से कम आयु के हैं। ये लोग न केवल भविष्य में भारी मांग का एक स्रोत हैं अपितु, इनकी रुचियों और प्राथमिकताओं में लचीलापन आने की संभावना है और इसलिए ये लोग उपभोक्ता उत्पादों में आ रहे बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेंगे।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और खुदरा व्यापार नीति

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 की अनुसूची 1 के अंतर्गत भारत से बाहर किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है। कुशल श्रम शक्ति सहित और विकास की संभावना वाली खुली अर्थव्यवस्थाओं में बंद और अत्यधिक नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने की संभावना होती है। निवेशक कंपनी अनेक तरीकों अर्थात् विदेश में कोई सहायक या संबद्ध कंपनी की स्थापना करके या किसी विदेशी कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करके अथवा विलय अथवा संयुक्त उद्यम के माध्यम से विदेश में निवेश कर सकती है। भारत, विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते इसकी सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीएस) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस करार जो थोक और खुदरा सेवाओं पर भी लागू है, के अंतर्गत, भारत सहित सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को अपने खुदरा व्यापार क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलना अपेक्षित है।

[4] ग्राफ-2 पहले 20 देशों की जीआरडीआई 2013 का प्रतिरूप है। क्षैतिज एक्स-एक्सिस पर संबंधित देशों के नाम और रैंक हैं और ऊर्ध्वाधर वाई-एक्सिस पर देशों द्वारा जीआरडीआई की गणना में प्राप्त अंक दिए गए हैं और प्रत्येक देश के ऊपर दिए गए अंक संबंधित देशों का सही जीआरडीआई स्कोर है।

भारत में विदेशी निवेश, भारत सरकार द्वारा घोषित एफडीआई नीति प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित है। इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम, 2000 सम्मिलित हैं। इस अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) क्षेत्रीय नीति और क्षेत्रीय इक्विटी की अधिकतम सीमा, जिसकी सीमा 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है, में प्रभावी परिवर्तन करने हेतु नियमित आधार पर एफडीआई नीति की निगरानी और उसकी समीक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी है। एफडीआई नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/डीआईपीपी के अंतर्गत औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) द्वारा प्रेस टिप्पणों/नीति परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित की जाती है।

प्रत्यक्ष/स्वत: मार्ग और सरकारी मार्ग[5] के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति है। कुछ क्षेत्रों/कार्यालयों, जिनके लिए आरबीआई अथवा विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है, को छोड़कर विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बॉक्स 1

भारत में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विकास का इतिहास

- 1991 की औद्योगिक नीति के माध्यम से आरंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत सरकार ने धीमे और चरणबद्ध तरीके से खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को आरंभ करने का निर्णय लिया।
- 1995: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की सेवा में व्यापार संबंधी आम करार, जिसके अंतर्गत थोक और खुदरा दोनों सेवाएं सम्मिलित हैं, प्रभावी हो गया।
- 1997: सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 'कैश एंड कैरी (थोक)' में 100% अधिकारों के साथ एफडीआई की अनुमति दी गई।
- 2006: 'कैश एंड कैरी' (थोक) में एफडीआई को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लाया गया; सरकारी मार्ग के अंतर्गत, प्रेस टिप्पण 3 (2006 शृंखला) की शर्त के अधीन, एकल ब्रांड खुदरा बिक्री केन्द्र पर 51% तक के निवेश की अनुमति प्रदान की गई।
- 2011: सरकारी मार्ग के अंतर्गत एकल ब्रांड खुदरा में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
- 2012: सरकारी मार्ग के अंतर्गत एकल ब्रांड खुदरा में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई। 20 सितम्बर, 2012 को सरकार ने सरकारी मार्ग के अंतर्गत मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51% एफडीआई की अनुमति दी।
- 2013: 49 प्रतिशत तक के निवेश के मामले में सरकारी मार्ग के अंतर्गत 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार हेतु एफडीआई और 49 प्रतिशत से अधिक निवेश के साथ 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

[5] भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समेकित एफडीआई नीति में यथा विनिर्दिष्ट सभी कार्यालयों/क्षेत्रों में सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्वत:/प्रत्यक्ष मार्गों के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति है। स्वत: मार्गों के अंतर्गत कवर न किए गए कार्यकलापों में एफडीआई के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है जिन पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा विचार किया जाता है।

दिनांक 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति संबंधी विवरण के अनुसार प्राथमिक रूप से निर्यात कार्यकलापों में संलग्न व्यापारिक कंपनियों में केवल 51% तक व्यापार क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति है। 1997 में, निम्नलिखित कार्यकलापों के मामले में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अंतर्गत व्यापारिक कंपनियों के मामले में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई: (क) निर्यात; (ख) निर्यात/एक्स-बांडेड वेयरहाउस बिक्री[6] सहित थोक आयात; (ग) कैश एंड कैरी थोक व्यापार[7]; और (घ) सेवाओं या अन्य आयात बशर्ते कि उनकी कम से कम 75 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति और बिक्री समान समूह की कंपनियों की बीच की जाए न कि किसी तीसरे पक्ष के उपयोग अथवा आगे उनका अंतरण/वितरण/बिक्री की जाए।

वर्ष 2000 में उदारीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में निर्यात व्यापार भारी आयात में एफडीआई के अतिरिक्त, निर्यात/एक्स बांडेड वेयरहाउस बिक्री सहित थोक आयात, और थोक 'कैश एंड कैरी' व्यापार आयात-निर्यात नीति के अनुसार व्यापार के जिन अन्य अनुमत्य क्षेत्रों को एफडीआई हेतु खोला गया वे हैं—(एक) बिक्री के पश्चात् सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां; (दो) संयुक्त उद्यम के उत्पादों के घरेलू व्यापार; (तीन) उच्च तकनीक युक्त वस्तुओं के व्यापार; (चार) सामाजिक क्षेत्र संबंधी वस्तुओं; (पांच) उच्च तकनीक युक्त मेडिकल और नैदानिक वस्तुओं; (छह) लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं; (सात) निर्यात हेतु उत्पादों के घरेलू स्रोत; (आठ) ऐसे उत्पाद, जिनके लिए किसी कंपनी के पास विनिर्माण की अनुमति है की 'टेस्ट मार्केटिंग'[8] बशर्ते ऐसी 'टेस्ट मार्केटिंग' सुविधा दो वर्ष की अवधि के लिए हो; और (नौ) विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में निवेश।

वर्ष 2006 में, 'कैश एंड कैरी' थोक व्यापार में एफडीआई को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लाया गया और सरकारी मार्ग के माध्यम से एकल ब्रांड खुदरा बिक्री केंद्रों[9] और प्रेस टिप्पण 3[10] (2006 शृंखला) के अधीन 51 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई। 2011 में, सरकारी मार्ग के अंतर्गत एकल ब्रांड खुदरा में 100% तक एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई और 2012 में सरकार ने सरकारी मार्ग के अंतर्गत और प्रेस टिप्पण 5 (2012 शृंखला) के अधीन मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की।[11] दिसम्बर, 2012 में संसद ने मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र

[6] बांडेड वेयरहाउस एक ऐसा भवन अथवा अन्य कोई सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क योग्य वस्तुओं का भंडारण, उनका मैनिपुलेशन अथवा विनिर्माण किया जा सकता है। इसका प्रबंधन राज्य या किसी निजी उद्यम द्वारा किया जा सकता है। निर्यात/एक्स बांडेड वेयरहाउस बिक्री युक्त आयात के मामले में आयातित वस्तुओं को किसी अन्य देश को भेजने से पहले अथवाई या नियत अवधि के लिए वेयरहाउस में उनका भंडारण किया जाता है।

[7] कैश एंड कैरी थोक व्यापार का अर्थ है खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत अथवा अन्य पेशेवर व्यवसाय उपयोगकर्ताओं अथवा अन्य थोक विक्रेताओं और संबंधित अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं को वस्तुओं/माल की बिक्री।

[8] उत्पाद के विकास का वह चरण जहां यह निर्णय लेने के लिए उत्पादन और उसकी विपणन योजना का सावधानी से चयन किए गए जनसंख्या समूह के समक्ष लाया जाता है कि उसे पूर्ण रूप से आरंभ करने से पहले अस्वीकार किया जाए।

[9] एकल ब्रांड खुदरा में एफडीआई का अर्थ यह है कि विदेशी निवेश के साथ कोई खुदरा स्टोर केवल एक ब्रांड और केवल उन ब्रांडों को बिक्री कर सकते हैं जिन्हें विनिर्माण के समय ब्रांड नाम दिया जाता है और जिन पर सरकार द्वारा विहित शर्तें लागू हैं।

[10] औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, प्रेस टिप्पणों/प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से एफडीआई की घोषणा करता है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन, (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में संशोधन के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

[11] मल्टी ब्रांड में एफडीआई का अर्थ सामान्यत: सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन विदेशी निवेश के साथ एक ही स्थान पर मल्टी ब्रांड की बिक्री करने वाले खुदरा स्टोर हैं।

में एफडीआई की अनुमति देने के केन्द्र सरकार के निर्णय का अनुमोदन किया। इससे विदेशी खुदरा कंपनियों के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करने के लिए बड़े शहरों में 51 प्रतिशत स्वामित्व के साथ खुदरा स्टोर खोलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई संबंधी वर्तमान नीति

(एक) 'कैश एंड कैरी' थोक व्यापार

वर्तमान स्थिति के अनुसार, स्वत: मार्ग के अंतर्गत 'कैश एंड कैरी' थोक व्यापार में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। तद्नुसार, थोक व्यापार के अंतर्गत व्यक्तिगत उपभोग के उद्देश्य से बिक्री के विपरीत व्यापार, व्यवसाय और पेशे के प्रयोजन हेतु बिक्री की अनुमति दी जाएगी। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई बिक्री थोक बिक्री है अथवा नहीं, ग्राहकों का प्रकार जिसे बिक्री की जानी है न कि बिक्री का आकार और उसकी मात्रा मानदंड होगा।

बॉक्स 2

कैश एंड कैरी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से थोक व्यापार की शर्तें

- थोक व्यापार आरंभ करने के लिए राज्य सरकार के संगत अधिनियमों/विनियमों/नियमों/आदेशों के अंतर्गत विहित आवश्यक लाइसेंस/पंजीकरण/परमिट की आवश्यकता है।
- सरकार को की गई बिक्री के मामले में अतिरिक्त थोक विक्रेता द्वारा केवल विधिमान्य व्यावसायिक ग्राहकों के साथ की गई बिक्री के 'कैश एंड कैरी' थोक व्यापार/थोक व्यापार माना जाएगा।
- ऐसी बिक्री के सभी ब्यौरों को दर्शाते हुए दैनिक आधार पर पूरे रिकार्ड रखे जाएंगे।
- समान समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं के थोक व्यापार की अनुमति है तथापि, समूह कंपनियों के साथ सम्मिलित रूप से किया गया ऐसा व्यापार थोक बिक्री उद्यम के कुल कारोबार का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लागू विनियमों के अधीन ऋण सुविधा सहित सामान्य व्यावसायिक परंपराओं के अनुसार थोक व्यापार किया जा सकता है।
- कोई थोक कैश एंड कैरी व्यापारी, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को बिक्री करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं खोल सकता।

बॉक्स 3

थोक व्यापारी हेतु विधिमान्य व्यावसायिक ग्राहक

- बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरणधारी कंपनियों; अथवा
- सरकारी प्राधिकरण द्वारा यह दर्शाते हुए कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र/सदस्यता प्रमाण-पत्र धारक कंपनियां/व्यक्ति स्वयं वाणिज्यिक कार्यकलापों वाले व्यवसाय में संलग्न हैं; अथवा
- सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय स्व-शासन सरकारी निकायों से खुदरा व्यापार (जैसे तहबजारी और विक्रेताओं हेतु समान लाइसेंस) हेतु परमिट/लाइसेंस आदि धारक कंपनियां; अथवा
- स्व-उपभोग के लिए निगमन का प्रमाण-पत्र अथवा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत संस्थान।

(दो) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार

वर्तमान स्थिति के अनुसार, 49% तक निवेश के मामले में स्वत: मार्ग के अंतर्गत और एक ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार हेतु 49% से अधिक निवेश के मामले में सरकार की पूर्व अनुमति से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। एकल उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेश को आकर्षित करना, उपभोक्ताओं हेतु ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करना, भारत से वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक डिजाइन प्रौद्योगिकीय और प्रबंधन परंपराओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

सरकार से एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति लेने संबंधी आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसएआई) को भेजे जाएंगे। आवेदनों में विशेषरूप से उन उत्पादों/उत्पाद श्रेणियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें 'एकल ब्रांड' के अंतर्गत बेचा जाना है। यदि एकल ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कोई और उत्पाद शामिल करना है तो उसके लिए सरकार से अलग से स्वीकृति लेनी होगी।

बॉक्स 4

एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार हेतु शर्तें

- बेचे जाने वाले उत्पाद एक ही ब्रांड के होने चाहिए।
- उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसी ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाना चाहिए।
- एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार में केवल वे उत्पाद ही शामिल किए जाएंगे जिन्हें निर्माण के दौरान ब्रांड नाम दिया जाता है।
- भारत से बाहर की संस्था/संस्थाएं चाहे वे ब्रांड की स्वामी हों या न हों, को देश में किसी विशेष ब्रांड के लिए एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार की अनुमति दी जाएगी।
- ऐसे प्रस्तावों के लिए जिनमें 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाना हो, खरीदी गई वस्तुओं के कुल मूल्य में से 30% तक के मूल्य की वस्तुएं भारत से, विशेषरूप से सभी क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, ग्राम और कुटीर उद्योगों शिल्पकारों और दस्तकारों, से खरीदी जाएंगी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में लगी कंपनियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से किसी भी प्रकार के खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(तीन) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार

वर्तमान में भारत में सरकारी माध्यम से मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। तथापि, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार से तात्पर्य यह है कि विदेशी निवेश की सहायता से स्थापित खुदरा केन्द्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के ब्रांड उत्पाद बेच सकते हैं—

बॉक्स 5

मल्टी ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार हेतु शर्तें

- ताजे कृषि उत्पादों को ब्रांड मुक्त रखा जा सकता है।
- विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डालर होगी।
- 100 मिलियन अमरीकी डालर के पहले 'ट्रांच' के तहत लाई गई कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि का 50% तीन वर्षों के अंदर बैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। उसके बाद व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप जब भी आवश्यक होगा मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापारियों को बैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर[12] में निवेश करना होगा।
- निर्मित प्रसंस्कृत उत्पादों की कुल खरीद का कम से कम 30% भारत से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जिन्होंने संयंत्र और मशीनों में 2 मिलियन अमरीकी डालर[13] से अधिक निवेश नहीं किया है, से जुटाया जाएगा।
- खरीद आवश्यकता, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सबसे पहले तो पांच वर्षों के औसत के रूप में, जो उस वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होता है, जिसके दौरान एफडीआई का पहला 'ट्रांच' प्राप्त होता है, खरीदे गए विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के कुल मूल्य से पूरी की जाएगी। तत्पश्चात् इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।
- कंपनी द्वारा स्वत: प्रमाणन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया जा सके जिसकी जब भी आवश्यकता हो, जांच भी की जा सकती है। तद्नुसार निवेशकों को सांविधिक लेखापरीक्षकों से विधिवत् प्रमाणित लेखाओं का रिकार्ड रखना होगा।
- खुदरा बिक्री केन्द्र केवल उन्हीं शहरों में खोले जा सकते हैं जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी हो या किसी अन्य शहर में संबंधित राज्य सरकारों के निर्णय के आधार पर खोले जा सकते हैं और इन्हें ऐसे शहरों के नगर निगमों/शहरी बस्तियों के आस-पास का लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करना होगा।[14]
- कृषि उत्पादों की खरीद पर पहला अधिकार सरकार का होगा।
- मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में लगी एफडीआई वाली कंपनियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से किसी भी प्रकार के खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति और संवर्धन बोर्ड द्वारा की जाएगी ताकि सरकारी स्वीकृति हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार करने से पूर्व यह निर्धारित किया जा सके कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशानिर्देशों को पूरा करता है या नहीं।

[12] 'बैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में सभी क्रियाकलापों पर किया गया पूंजीगत व्यय सम्मिलित है, इसमें प्रेंट एंड यूनिट्स पर आने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है उदाहरणत: प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिब्बाइन में सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लाजिस्टिक्स, भंडारण, भंडारगृह, कृषि विपणन उत्पाद इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि पर किया गया निवेश। बैक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में भूमि का मूल्य और किरायों पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा।

[13] इस मूल्यांकन से मूल्यह्रास को ध्यान में रखे बिना स्थापना के समय का मूल्य अभिप्रेत है। खुदरा व्यापारी के साथ पहली बार कार्य आरंभ करने के समय ही लघु उद्योग के दर्जे का निर्धारण किया जाएगा और उक्त खुदरा व्यापारी के साथ व्यवसाय करते हुए यदि 2 मिलियन अमरीकी डालर के उक्त निवेश में वृद्धि भी हो जाए तो भी ऐसे उद्योगों के लिए लघु उद्योग का दर्जा जारी रहेगा। इस श्रेणी में कृषि सहकारी संस्थाओं से प्राप्त संसाधन भी सम्मिलित किए जाएंगे।

[14] खुदरा केन्द्र संबंधित शहरों के मास्टर/क्षेत्रीय प्लान में दिए गए क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे तथा परिवहन और पार्किंग सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे।

(चार) ई-कॉमर्स कार्यकलाप

स्वत: मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ई-कॉमर्स कार्यकलापों से अभिप्राय एक कंपनी द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से क्रय-विक्रय करना है। ऐसी कंपनियां केवल बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स ही कर सकती हैं, खुदरा व्यापार नहीं जिससे यह अभिप्रेत है कि अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे। यद्यपि ऑन लाइन शापिंग अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है और ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री पूरी खुदरा बिक्री के एक प्रतिशत से भी कम के बराबर है किंतु इसमें वृद्धि की पूरी संभावना है क्योंकि अब अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिले-सिलाए वस्त्र, फिल्में, संगीत और किताबों के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है क्योंकि नई-नई कंपनियों, नए-नए व्यापारिक प्रतिमानों और व्यापार के नए-नए अवसरों से बाजार भरे पड़े हैं।

समर्थ नीति

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति एक समर्थ नीति है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अत: इस नीति के अंतर्गत उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जा सकेंगे जो मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति दे चुके हैं अथवा भविष्य में दे देंगे। खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा लागू कानूनों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में लगी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से किसी भी प्रकार का खुदरा व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि, मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी जाती है, परंतु व्यापार हेतु लाइसेंस देने का अंतिम प्राधिकार राज्यों को उनके संबंधित दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया है और ये केवल उन्हीं शहरों के लिए दिए जाएंगे जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है।

जून 2014 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 29 राज्यों और 7 संघ राज्यक्षेत्रों में से केवल 11 राज्य और 2 संघ राज्यक्षेत्र मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में हैं।

बॉक्स 6

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में भारत के राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

- आंध्र प्रदेश
- असम
- दिल्ली
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू और कश्मीर
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- मणिपुर
- राजस्थान
- उत्तराखंड
- दमन और दीव (सं.रा.क्षे.) और
- दादरा और नगर हवेली (सं.रा.क्षे.)

भारतीय खुदरा बाजार में प्रमुख कंपनियां

भारतीय खुदरा बाजार में कुछ प्रमुख कंपनियां, जिनका काफी अधिक शेयर है, में शामिल हैं—पेंटालून रिटेल, ए फ्यूचर ग्रुप वेंचर, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, स्पेंसर्स रिटेल, एआरपीजी इंटरप्राइजेज और लाइफ स्टाइल रिटेल और लैंडमार्क ग्रुप वेंचर। भारत में अन्य बड़ी घरेलू कंपनियां हैं—भारती रिटेल, टाटा ट्रेंट, ग्लोबस, आदित्य बिरला 'मोर' और रिलायंस रिटेल। भारत में इस क्षेत्र में आने वाली कुछ बड़ी विदेशी कंपनियां—आईकेईए, मैसर्स एच एंड एम मेनिस एंड मॉरिट्ज जीबीसीएबी एंड डिकैथलान एस.ए., फ्रांस, ब्रिटिश रिटेलर टेस्को पिक (टीएससीओ) और मार्क्स एंड स्पेंसर्स हैं, जिनका रिलायंस रिटेल के साथ संयुक्त उद्यम है।

बॉक्स 7

खुदरा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव : पक्ष और विपक्ष में विचार

पक्ष

— खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संगठित क्षेत्र का विकास होगा और इससे सरकार को राजस्व मिलेगा।

— इससे पूंजी की प्राप्ति होगी और कुशल आपूर्ति शृंखला संभार-तंत्र का विकास होगा।

— कुल निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में होगा।

— उन्नत कृषि-प्रसंस्करण और शीतागार शृंखला के माध्यम से ग्रामीण भारत का कायापलट।

— खेतों से कृषि उत्पाद सीधे भंडार में पहुंचता है और इससे क्षति में कमी आती है।

— बिचौलियों/मध्यस्थों पर अत्यधिक निर्भरता समाप्त होगी।

— किसानों को काफी लाभ होगा क्योंकि खुदरा व्यापारी स्थायित्व और मितव्ययिता लाएंगे।

— संगठित खुदरा विक्रेताओं को सीधे बेचने से किसानों को अच्छी/उचित कीमतें मिलेंगी।

— कृषि उत्पादों के साफ-सुथरी स्थिति में भंडार में सीधे पहुंचने से ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता, मात्रा और कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होंगी।

— उत्पादों के चयन से ग्राहकों को लाभ होगा और वे अपनी पसंद की किस्म की वस्तुएं चुन सकेंगे।

— इससे उच्च स्तर की तकनीकी और संचालनात्मक विशेषज्ञता प्राप्त होगी।

— अधिक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर तक फैल सकता है।

— प्रतिस्पर्द्धा के बढ़ने और परिणामस्वरूप निम्न कीमत से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा।

— सिर्फ फ्रंट एंड रिटेलिंग में ही नहीं अपितु बैंक एंड रिटेलिंग के क्रियाकलापों में भी रोजगार उत्पन्न होगा।

विपक्ष

— विदेशी खुदरा व्यापारी स्थानीय किसानों, आपूर्तिकर्ताओं और घरेलू निर्माताओं से आवश्यक रूप से आपूर्ति नहीं भी ले सकते हैं।

— गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण किसानों को आपूर्ति के अस्वीकार किए जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

— छोटे किसानों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति से लाभ नहीं होगा।

— अस्वीकृत उत्पादों के निस्तारण और असुविधाजनक सुपुर्दगी समय-सारणियों के पालन में कठिनाई आ सकती है।

— किसानों को उत्पादन और उपभोग ऋण प्रदान करने में बड़े खुदरा व्यापारी अनिच्छुक हो सकते हैं।

— किसानों और घरेलू निर्माता बाजार से बाहर हो सकते हैं।

— श्रेणी-एक और श्रेणी-दो शहरों में रहने वाले उच्चस्तरीय ग्राहकों को ही यह सुविधा मिलेगी और गांवों तथा छोटे कस्बों में ग्राहकों हेतु जन उपभोग की वस्तुएं नहीं मिलेंगी।

— श्रमिकों की सुरक्षा और नीतियां स्पष्ट रूप से परिभाषित/उल्लेखित नहीं की गई हैं।

— इससे भारत में लगभग 50 मिलियन छोटे व्यापारी प्रभावित होंगे।

— खुदरा विक्रेताओं को रोजगार और लाभ में भारी हानि होती है।

— रीयल एस्टेट की कीमत में वृद्धि होगी।

भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

एस.डब्ल्यू.ओ.टी. का अर्थ है मजबूत पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर और खतरे। एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण एक एकांगी विश्लेषणात्मक तकनीक है जो किसी वस्तु के अध्ययन को इन चार मानदंडों पर केन्द्रित करने में प्रयुक्त होती है और इन चार मानदंडों के आधार पर विद्यमान स्थितियों का सार प्रस्तुत करती है और विद्यमान मजबूत पक्ष का प्रयोग कर, विद्यमान कमजोरियों का निराकरण कर, अवसरों का लाभ उठाकर और संभावित खतरों से रक्षा करते हुए भावी विजन, योजनाओं और रणनीतियों के निर्माण में सहायता करती है।

बॉक्स 8

मजबूत पक्ष

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- युवा और गतिशील जनशक्ति चुनौती स्वीकार करेगी।
- विश्व में सर्वोच्च दुकान घनत्व अत: छोटे बिक्री केन्द्र के लिए कोई भय नहीं।
- भारत में खुदरा एवं थोक व्यापार में उच्च वृद्धि दर।
- बड़े व्यापार/उद्योग घराने की उपस्थिति, जो घाटे को वहन कर सकता है।

कमजोर पक्ष

- खुदरा क्षेत्र में कम पूंजी निवेश।
- प्रशिक्षित और शिक्षित मानव शक्ति का अभाव।
- प्रतिस्पर्द्धा का अभाव।
- विशिष्ट दुकानों की तुलना में अधिक कीमतें।
- खराब अवसंरचना।
- पर्याप्त गोदामों और शीतागार सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण भारी क्षति।

अवसर

- भविष्य में अधिक रोजगार सृजन की आशा।
- किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- खुदरा व्यापारियों की क्षमता में वृद्धि होगी।
- विदेशी पूंजी का अन्तर्प्रवाह।
- परिवहन, संचार और भंडारण अवसंरचना सहित सुविकसित और नेटवर्क आपूर्ति शृंखला संभार-तंत्र का विकास।
- बेहतर प्रौद्योगिकी और ब्रांडिंग के साथ बड़े बाजार।
- लागत में कमी के साथ गुणवत्ता में सुधार।
- निर्यात क्षमता में वृद्धि।
- रहन-सहन के ढंग में परिवर्तन और प्रस्थिति चेतना में वृद्धि।

जोखिम

- दीर्घकाल में किराना और खुदरा व्यापारी व्यवसाय से बाहर हो सकते हैं।
- विदेशी निवेशकों/बड़े स्टोरों द्वारा खुदरा क्षेत्र पर नियंत्रण का भय।
- मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में कमी आ सकती है।
- सड़क किनारे मोलभाव प्रारंभ हो सकता है जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है।
- भारतीयों द्वारा कार्य किया जाएगा और लाभ विदेशियों को प्राप्त होगा।
- किसानों का शोषण होगा और विदेशी निवेशकों द्वारा उनके खेतों और फसलों को छीन लिया जाएगा।

संदर्भ

- भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी के विभिन्न प्रेस टिप्पण/प्रकाशनियां।
- भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआईपीपी, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, अप्रैल 2014
- भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संकल्पना पत्र, जनवरी 2012
- भारत की संसद, राज्य सभा, विभागों से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति, 'खुदरा क्षेत्र में विदेशी और घरेलू निवेश संबंधी 90वां प्रतिवेदन', जून, 2009
- भारत की संसद, राज्य सभा, उद्योग संबंधी विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति, एमएसएमई क्षेत्र पर मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभाव पर 250वां प्रतिवेदन, जुलाई, 2013
- एन.बी. शाहा और एम.ए. शिंदे, भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (टैक्टफुल मैनेजमेंट रिसर्च जर्नल, फरवरी 2013)।
- डॉ. मनीष खरे, फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट इन इंडियन रिटेल सेक्टर-ए एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस (एआईएमईसीटी यूनिवर्सिटी जर्नल, खंड-2/अंक-4, सितम्बर 2013)।
- के.आर. कौशिक और डॉ. कपिल कुमार बंसल, भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: पक्ष और विपक्ष (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमर्जिंग रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, 2012)।
- ए.टी. किर्यनी, वैश्विक खुदरा विक्रेताओं पर प्रतिवेदन: कामियसली ओप्टिमिस्टिक ऑफ ओप्टिमिस्टिकली कॉमियस? रिपोर्ट में प्रकाशित वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक, 2013
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की), खुदरा क्षेत्र रूपरेखा 2012
- डॉ. हिरण्य के. नाथ, भारत के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (स्पेस एंड कल्चर, इंडिया 2013)।
- डिलॉयट, रिपोर्ट: इंडियन रिटेल मार्किट-ओपेनिंग मोर डोर्स, 2013

श्री पी.के. मिश्र, अपर सचिव और श्री सी.एन. सत्यनाथन, निदेशक की देखरेख में डॉ. बी.सी. जोशी, अपर निदेशक और श्रीमती पूजा सिंह, शोध अधिकारी, लोक सभा सचिवालय द्वारा संसद सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा के निदेशक, श्री नवीन चन्द खुल्बे और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया।